

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 3 | जनवरी, 2014

विषय - वर्ष 2013 में आई बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1201/दौआ0लि0-14, दिनांक 14-01-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2013-14 में आई बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पीलीभीत के 08, निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, पीलीभीत के 11, बाढ़ खण्ड पूरनपुर के 08, हैड वर्क्स शारदा नहर बरेली के 04, शारदा सागर खण्ड पीलीभीत के 01 एवं जिला पंचायत पीलीभीत के 02 अर्थात् कुल 34 कार्यों/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु कुल धनराशि ₹0 11,01,15,000/- के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 5,50,57,500/- (कुल रुपये पाँच करोड़ पचास लाख सत्तावन हजार पाँच सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0सं0/ विभाग का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम		मांगी गयी धनराशि (लाख ₹0 में)	प्रथम किस्त के रूप में आवंटित धनराशि (लाख ₹0 में)
1- प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग	1	एन0पी0डी0पी0 से भुरजनिया मार्ग	15.07	7.535
	2	रागनगर से चन्द्र नगर मार्ग	23.74	11.87
	3	जटपुरा से टण्डोला मार्ग	33.04	16.52
	4	सम्पूर्णनगर से मुरैनी गौड़ी मार्ग	31.85	15.925

		किमी 0 2, 5 व 6		
	5	राधवपुरी बमनपुरी भगीरथ टाटरगंज मार्ग के किमी 0 1 व 2 (930)	25.52	12.76
	6	नेहरू नगर से चन्द्र नगर मार्ग	43.63	21.815
	7	कुरैया से जगतपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	42.20	21.10
	8	सिमरा ता 0 महारापुर से राजूपुर सम्पर्क मार्ग	48.50	24.25
		योग	263.55	131.775
2- निर्माण खण्ड-1, लो 0 नि 0 वि 0 पीलीभीत।	1	लिपुलेक भिण्ड मार्ग	43.76	21.88
	2	परसिया महुआ मार्ग से खानपुर उर्फ वीरमपुर मार्ग	15.40	7.70
	3	कितनापुर मार्ग से नवदिया सितारगंज मार्ग	34.77	17.385
	4	सिम्बुआ मरौरी खास मार्ग	27.02	13.51
	5	इगधरा मुडिया वस्थना सम्पर्क मार्ग	29.26	14.63
	6	शाही जहानाबाद मार्ग से भानपुर मार्ग	20.99	10.495
	7	ऐभी से वारनवादा मार्ग	15.36	7.68
	8	वरखेड़ा दौलतपुर उगनपुर सुहास मार्ग किमी 0 2 से पिपरामण्डन मार्ग के किमी 0 7 से परेवा अनूप मार्ग	25.63	12.815
	9	सडिया मु 0 सम्पर्क मार्ग	23.56	11.78
	10	चुरा से जल्लापुर सम्पर्क मार्ग	48.76	24.38
	11	मकरन्दपुर ता 0 सिमरौली मार्ग	21.50	10.75
		योग	306.01	153.005
3- बाढ़ खण्ड पूरनपुर।	1	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित स्पर सं 0-09 के अपस्ट्रीम में धर्मपुरी एवं टीला नं 0-4 आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा हेतु पूर्व निर्मित/क्षतिग्रस्त 02 अदद कटर्स की पुनर्स्थापना का कार्य।	44.68	22.34
	2	शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम अयोध्यानगर, भरतपुर आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्मित 12 में से 03 अदद स्परो/कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।	47.52	23.76
	3	शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम अशोक नगर, लक्ष्मण नगर आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्मित 16 में से 03 अदद	38.97	19.485

		स्परों/कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।		
	4	शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम नौजुल्हा में निर्मित स्परों/कटाव निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य।	45.00	22.50
	5	शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम नौजुल्हा व कुतियाकवर नं०-2 में क्षतिग्रस्त 04 अदद ई०सी० बैग कटर्स/कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षात्मक पुनर्स्थापना का कार्य।	27.00	13.50
	6	शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम रमनापुर, बुझिया, घुरियापलिया में बने स्परों/ कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षात्मक पुनर्स्थापना का कार्य।	40.00	20.00
	7	देवहा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम पुरनापुर में क्षतिग्रस्त प्राइमरी स्कूल/ कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षात्मक पुनर्स्थापना हेतु जी०ई०ओ० बैग द्वारा बैंक पिचिंग व एग्रन की पुनर्स्थापना का कार्य।	43.43	21.715
	8	शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम गभिया सहराई के निकट सनेढी तटबन्ध पर पूर्व निर्मित स्पर संख्या-17 एवं 18 के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में क्षतिग्रस्त एग्रन की पुनर्स्थापना का कार्य।	48.37	24.185
		योग	334.97	167.485
4- हैड वर्क्स खण्ड शारदा नहर बरेली।	1	सब्सिडियरी हरदोई शाखा नहर के दायें बैंक पर किमी० 6.940 से 20.800 के मध्य विभिन्न स्थलों पर भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त बैंक की पुनर्स्थापना का कार्य	41.12	20.56
	2	हरदोई शाखा नहर के दायें बैंक पर किमी० 21.1000 से किमी० 33.500 तक भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त बैंक की पुनर्स्थापना का कार्य	39.74	19.87
	3	शारदा मुख्य नहर के दायें बैंक पर किमी० 32.700 के किमी० 33.800 एवं किमी० 39.650 से 40.370 तक भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त बैंक की पुनर्स्थापना का कार्य	32.03	16.015

	4	हरदोई शाखा नहर के दायें बैंक पर किमी० 1.350 से किमी० 2.800, किमी० 4.750 से 5.100, किमी० 13.940 से किमी० 14.000 तक भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त बैंक की पुनर्स्थापना का कार्य	27.22	13.61
		योग	140.11	70.055
5- शारदा सागर खण्ड पीलीभीत।		दूनी बैराज के स्लोप पिचिंग डाउन स्ट्रीम की मरम्मत/पुनर्स्थापना का कार्य	18.61	9.305
6- जिला पंचायत पीलीभीत।	1	विकासखण्ड ललौरीखेड़ा के ग्राम शाही रेलवे कासिंग से हन्डा वाहनपुर मार्ग पर पेन्टिंग मरम्मत कार्य	19.20	9.60
	2	विकासखण्ड अमरिया के ग्राम टोंडरपुर से जोशी कालोनी मार्ग पर पेन्टिंग मरम्मत कार्य	18.70	9.35
		योग-	37.90	18.95
		महायोग-	1101.15	550.575

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जांच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अयमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में

निर्धारित एवं अर्ह मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

11

संख्या- 66(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई/पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग एवं निदेशक, पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी पीलीभीत ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से 21/11/14

(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।